न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित–पिंकी वर्मा (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3627
परिवाद संख्या–5136 / 2024
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी0120013672024

रिंकू आयु 31 वर्ष पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम अलियापुर, थाना–मैगलगंज, जिला–खीरी।

.....परिवादी।

बनाम

1. मजनू आयु करीब 50 वर्ष पुत्र फकीरे,
2. मटरू आयु करीब 40 वर्ष पुत्र फकीरे,
3. विटोल उर्फ मंसाराम आयु करीब 37 वर्ष पुत्र फकीरे,
4. अवनीश आयु करीब 22 वर्ष पुत्र मजनू, समस्त निवासीगण ग्राम अलियापुर, थाना मैगलगंज, जिला खीरी।

.....अभियुक्तगण।

अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0
थाना–मैगलगंज, जिला–लखीमपुर–खीरी।

निर्णय

1. प्रस्तुत परिवाद परिवादी रिंकू द्वारा अभियुक्तगण मजनू, मटरू, विटोल उर्फ मंशाराम व अवनीश के विरूद्ध न्यायालय में संस्थित किया गया है। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 31.08.2024 द्वारा अभियुक्तगण मजनू, मटरू, विटोल उर्फ मंशाराम व अवनीश को विचारण हेतु तलब किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक 28.05.2024 की समय सुबह के लगभग 10:00 बजे की है। प्रार्थी का भाई घर के बाहर बैठा था, तभी उपरोक्त सभी प्रार्थी के भाई को परेशान कर मारने पीटने लगे। प्रार्थी का भाई जब घर के अन्दर आ गया, तब उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर घर में जबरिया घुस आये तथा प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया तो प्रार्थी को भी मारने पीटने लगे एवं गन्दी–गन्दी गालियां दी तथा लात घूसों से काफी मारा पीटा। शोर गुल की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर आ गये, तब उपरोक्त सभी ऐलानियां धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी अत्यन्त परेशान है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल सूचना थाना मैगलगंज में दी, जहां कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. परिवादी द्वारा न्यायालय में दिनांक 18.06.2024 को परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी का बयान अं0धारा–200 दं0प्र0सं0 न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया। परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–1 शिवकुमार तथा पी0डब्लू0–2 विनोद का बयान अं0धारा–202 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिस आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त को अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 में जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपनी–अपनी जमानतें कराई।

4. परिवादी द्वारा बयान अंतर्गत 244 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को पी0डब्लू01 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

5. अभियुक्तगण मजनू, मटरू, विटोल उर्फ मंशाराम व अवनीश के विरूद्ध दिनांक 31.03.2026 को अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

6. परिवादी द्वारा धारा–246 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपने कथानक में घटना को गलत बताया गया तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा तथा कोई सफाई साक्ष्य पेश न करने का कथन किया है।

8. न्यायालय द्वारा परिवादी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

सर्वप्रथम अभियोजन साक्ष्य का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।

परिवादी द्वारा बयान अंतर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 के स्वयं को पी0डब्लू01 के रूप में परीक्षित कराया एवं कथन किया है कि घटना दिनांक–28.05.2024 सुबह 10 बजे की है। प्रार्थी का भाई धीरेन्द्र जो मंद बुद्धि का है, जो गांव में घूमता रहता है। उपरोक्त मजनू, मटरू, विटोल, अवनीश आये दिन परेशान किया करते हैं। मैं व मेरा भाई सुबह 10 बजे घर के बाहर बैठा था, तभी उपरोक्त लोग प्रार्थी के भाई को परेशान कर मारपीट कर रहे थे। मेरा भाई घर के अंदर आ गया तो उपरोक्त लोग भी घर के अंदर आकर भाई को मारा पीटा, मेरे विरोध करने पर मुझे भी मारा पीटा। घटना के मौके पर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गये, लोगों के ललकारने पर उपरोक्त लोग जान माल की धमकी देकर चले गये।

उक्त साक्षी पी0डब्लू01 ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि यह मुकदमा मैंने मारपीट का दायर किया है, मारपीट मेरे भाई धीरेन्द्र के साथ हुई थी। यह मुकदमा मैंने किस धारा के अंदर दायर किा है, मुझे जानकारी नहीं है। इस मुकदमें मैंने दिन 10 बजे मारपीट हुई थी, मेरा भाई कम दिमाग का है। मैंने अपने वादपत्र में यह बात लिखाई थी कि मेरा भाई कम दिमाग का है। मैंने इस मुकदमें में मजनू, मटरू, विटोल व अवनीश का नाम लिखाया है। मेरा और मुल्जिमानों का घर एक ही गांव में आमने सामने है। यह मुकदमा मैंने किस तारीख को दायर किया, मुझे जानकारी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। 28 तारीख 5वां महीना की घटना है, सन् मुझे पता नहीं है फिर कहा इसी सन् 2025 की घटना है। मजनू, मटरू, विटोल व अवनीश के साथ मेरी पुरानी कोई रंजिश नहीं है। मेरे खिलाफ मजनू की पत्नी लैला ने मेरे और मेरे भाई धीरेन्द्र के खिलाफ एक मुकदमा अ0सं0–221/2022 धारा–354,323,452,504,506 भा0दं0सं0, थाना मैगलगंज में लिखाया है। जो इस प्रस्तुत वाद से 2–3 साल पहले लिखाया है। यह मुकदमा मैंने उस मुकदमें के बाद में दायर किया है।

साक्षी पी0डब्लू01 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा अं0धारा–246 दं0प्र0सं0 के तहत दिये गये साक्ष्य में कथन किया गया है कि दिनांक–28.05.2024 को सुबह दिन के 10 बजे मजनू, मटरू, विटोल

तथा अवनीश ने मुझे व मेरे भाई के साथ गाली गालौज नहीं किया था और न ही मेरे भाई को परेशान किया था और न ही मेरे साथ मारपीट की थी और न ही मेरे भाई धीरेन्द्र के साथ मारपीट की थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने मजनू, मटरू, विटोल, अवनीश के विरूद्ध यहां परिवाद पत्र दायर किया था। मेरा उपरोक्त लोगों के साथ सुलह समझौता हो गया है। मैं अब इस परिवाद पत्र में कोई भी अग्रिम कार्यवाही कराना नहीं चाहता हूं। मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूं।

परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत 244 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया, किन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में किए गए कथन से साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी व परिवादी के भाई के साथ मारपीट व गाली गलौज किया हो।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के उपरांत इस न्यायालय का यह मत है कि परिवादी अपने कथानक को सिद्ध करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अतः परिवादी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण मजनू, मटरू, विटोल उर्फ मंशाराम व अवनीश आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मजनू, मटरू, विटोल उर्फ मंशाराम व अवनीश को अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके बंध–पत्र व जमानतनामे को निरस्त किया जाता है। प्रतिभुओं को उनके उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 20,000/–रूपये का निजी बंध–पत्र व समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करना सुनिश्चित करे।

दिनांक–15.07.2026

(पिंकी वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक–15.07.2026

(पिंकी वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

Digitally signed by Pinky Verma
Date: 2026.07.27 14:48:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court